न्यायालय – श्री कुमार अमित मनु
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश अनुसुचित
जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका (बिहार)
सत्रवाद संख्या –1018A/11
बिहार राज्य वनाम आशुतोष कापरी एवं अन्य

फार्म – ए

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष न्यायाधीश अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका

उपस्थित– कुमार अमित मनु, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह–
विशेष न्यायाधीश अनुसुचित जाति/जनजाति अनुसुचित जाति/जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका

निर्णय की तिथि – 24.06.2026
सत्रवाद संख्या – 1018A/11
प्राथमिकी संख्या – 96/10

धारा अंतर्गत : 395 भा0द0वि0

थाना – **बौंसी थाना, बांका**

सूचक	अशोक कुमार तिवारी, स्व0 सरयु तिवारी, साकिन सरैया, थाना बौसी, जिला बांका।
अभियोजन की तरफ से विद्वान अधिवक्ता	श्री सुबोध कुमार मिश्रा (अपर लोक अभियोजक)
अभियुक्त	1. **हीरा पासवान** पिता महेश पासवान, ग्राम अम्बातरी, थाना बौंसी, जिला बांका, उम्र लगभग 40 वर्ष।
अभियक्तों की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री कन्हईया लाल मिश्र (विद्वान अधिवक्ता)

फार्म – बी

अपराध की तिथि	03-06-2010
प्राथमिकी की तिथि	03-06-2010
अंतिम प्रपत्र की तिथि	10-09-2011
आरोप गठन की तिथि	29-01-2016
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	05-09-2023
निर्णय हेतु निर्धारण की तिथि	18-06-2026
निर्णय की तिथि	24-06-2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	N.A.

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का कम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर छोड़ने की तिथि	आरोपित धारा	अभियुक्तों की दोषसिद्धि या दोषमुक्ति	दी गई सजा/दंडादेश	धारा 428 दंड प्रकिया संहिता (Cr.P.C.)के प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान भुगती गई हिरासत की अवधि
1	**हीरा पासवान**	11.05.16	28.05.16	395 भा0द0वि0	दोषमुक्ति	N.A	

न्यायालय– कुमार अमित मनु, अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बांका

न्यायालय – श्री कुमार अमित मनु
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश अनुसुचित
जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका (बिहार)
सत्रवाद संख्या –1018A/11
बिहार राज्य वनाम आशुतोष कापरी एवं अन्य

फार्म – सी
अभियोजन/प्रतिरक्षापक्ष/न्यायालय साक्षियों की सूची

अ. अभियोजन साक्ष्य

कम सं0	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
01.	अशोक कुमार तिवारी	सूचक
02.	शंकर यादव	अन्य
03.	अनंत कुमार तिवारी	अन्य
04.	सोमेश कुमार तिवारी	इच्छुक

ब. प्रतिरक्षा साक्ष्य, यदि हो,

कम सं0	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
Nil	Nil	

स. न्यायालय साक्षी, यदि हो

कम सं0	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
Nil	Nil	

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय न्यायालय प्रदर्श की सूची

अ. अभियोजन

कम सं0	प्रदर्श	विवरण
1	P-1/P.W. 1	प्राथमिकी आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर

ब. प्रतिरक्षा प्रदर्श –

कम सं0	प्रदर्श	विवरण
1	Nil	Nil

स. न्यायालय प्रदर्श

कम सं0	प्रदर्श	विवरण
1	Nil	

द. वस्तु प्रदर्श

कम सं0	प्रदर्श	विवरण
1	Nil	

<u>निर्णय</u>

1. इस वाद में उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध धारा 395 भा0द0वि0 अधिनियम के अन्तर्गत आरोप गठित कर विचारण किया गया।

न्यायालय – श्री कुमार अमित मनु
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश अनुसुचित
जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका (बिहार)
सत्रवाद संख्या –1018A/11
बिहार राज्य वनाम आशुतोष कापरी एवं अन्य

2. संक्षेप में अभियोजन का वाद यह है सूचक अशोक कुमार तिवारी ने एक लिखित आवेदन थाना प्रभारी को इस आशय का दिया है कि 03.09.2010 को लगभग 12 बजे रात्रि में सूचक और सूचक की पत्नी आंगन में सोयी हुई थी तो 5 बदमाश घुसे और उनसे घर का चाभी की मांग किया नहीं देने पर सूचक के साथ मारपीट करने लगे जब सूचक की पत्नी हल्ला की तो बदमाश लोग सूचक को छाति पर पिस्तौल सटाकर जान मारने की धमकी देने लगे तथा उनकी पत्नी के नाक का नकचना एवं कान का बाली खोला लिया तथा बिछवान के नीच शादी के लिए रखा 21000 रूपया ले लिया। हल्ला पर ग्रामीण जुटे और घटना को देखे। सभी बदमाशो में एक बदमाश अमर पासवान को सूचक ने पहचाना।
3. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर बौंसी थाना काण्ड संख्या 96/2010 दिनांक 03.06.2010 दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधानोपरांत प्राथमिकी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 167/11 दिनांक 31.08.2011 को धारा 395 भा0द0वि0 के अंतर्गत समर्पित किया गया।
4. अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा भा0द0वि0 395 भा0द0वि0 के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया।
5. दिनांक 29.01.2016 को अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 395 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप गठन कर हिन्दी में पढ़कर सुनाया समझाया गया, सुन समझ कर अभियुक्तगण ने आरोप को शिर्ष से इन्कार कर वाद विचारण का दावा किया।
6. अभियोजन की ओर से विचारण के क्रम में 04 साक्षी प्रस्तुत किया गया है अ0सा0सं0–01 अशोक कुमार तिवारी, अ0सा0सं0–02 शंकर यादव, अ0सा0सं0– 03 अनंत कुमार तिवारी एवं अ0सा0सं0 –04 सोमेश कुमार तिवारी का परिक्षण कराया गया।
7. अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्राथमिकी पर सूचक के हस्ताक्षर को प्रदर्श P-1/P.W.1 साबित कराया गया है।
8. अभियोजन का साक्ष्य बन्द होने के पश्चात् अभियुक्तगण का बयान धारा–313 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अधिरोपित आरोप से इन्कार करते हुये स्वंय को निर्दोष कहा है।
9. बचाव पक्ष की ओर से ना तो किसी का मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।

न्यायालय – श्री कुमार अमित मनु
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश अनुसुचित
जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका (बिहार)
सत्रवाद संख्या –1018A/11
बिहार राज्य वनाम आशुतोष कापरी एवं अन्य

10. अब न्यायालय के समक्ष निर्णय के बिन्दु पर विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करते में सफल रहा है?

मंतव्य

11. अ0सा0सं0 – 02 शंकर यादव एवं अ0सा0संव–03 अनंत कुमार तिवारी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया तत्पश्चात् अभियोजन को प्रतिपरीक्षण का मौका दिया गया परन्तु प्रतिपरिक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया जिससे अभियोजन वाद को बल मिल सके।

12. **साक्षी 01 अशोक कुमार तिवारी** (सूचक) कंडिका 1 यह घटना जुन 2010 की है। समय 12:15 बजे रात्रि का था। कंडिका 2 उस समय में अपने आंगन में सोये हुये थे। इसी बीच में बदमाश लोग मेरे घर में घुस आया। एक बदमाश ने मेरा मशहरी को हटा दिया। हम उठे और पुछे कि तुम कौन हो तो वह गाली। तो वह गाली–गलौज करने लगा कि गादरचोद तुम रूम का चाभी दो। तुग हल्ला करोगे तो गोली मार देग और फैट से कन्नपट्टी पर मारा। कंडिका 3 कुल 5 बदमाश था। एक बदमाश अमर पासवान को पहचानते है। दूसरे बगल के खाट पर पत्नी सोयी हुई थी उसके कान का बाली खींच लिया और मेरे बिछावन के नीचे एक्कीस हजार रूपया रखा था उसको ले लिया। कंडिका 4 पत्नी उठी और जबरदस्ती फाटक खोली। कंडिका 5 उपस्थित अभियुक्त को नहीं पहचानते है। कंडिका 6 यह वही आवेदन है जिस पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे पहचानते है जिसका छाया प्रति है जिसे आपत्ती के साथ प्रदर्श P-1/P.W. 1 अंकित किया गया।

प्रतिपरीक्षण कंडिका 7 मेरे अगल बगल अनंत तिवारी का घर है। उस टोला में 7–8 घर है।

साक्षी 04 सोमेश कुमार तिवारी कंडिका 01 यह घटना 2011 ई0 का है। घटना के समय मैं घर में था। 11–12 बजे रात्रि का समय था। कंडिका 2 मेरे घर में डकैती हुआ था। मेरे माता देवी के साथ मारपीट किया था और उसका कान का बाली छिंन लिया था। मेरे घर से लगभग 60 हजार का सामान लुट लिया था। बदमाश लगभग 8–10 आदमी थे। कंडिका 3 पिताजी के साथ भी मारपीट किया था। उनलोगों में अमर पासवान को पहचाने थे। कंडिका 4 न्यायालय में जो उपस्थित अभियुक्त है उसको मैं नहीं पहचानता हूँ।

प्रतिपरीक्षण कंडिका 5 मे घर के पास हिन्दु–मुस्लमान दोनों रहते है। वहॉ लगभग 300 मुस्लिम और 500 हिन्दु का घर है।

13. इस वाद में धारा 395 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप का गठन किया है अ0सा0सं0 1 जो इस वाद के सूचक है ने अपने अभिसाक्ष्य के मुख्य परिक्षण में लुटपाट, गाली गलौज, मारपीट करने एवं धमकी देने के तथ्य का समर्थन किया है परन्तु अपने अभिसाक्ष्य के मुख्य परिक्षण में उपस्थित अभियुक्त को पहचानने से इंकार किया है। अ0सा0सं0 4 जो सूचक के पुत्र ने अपने अभिसाक्ष्य के दौरान घर पर डकैती होने, उनके माता के साथ मारपीट एवं कान का बाली छिनने एवं 60 हजार का सामान लुटने के तथ्य का समर्थन किया है एवं अभिसाक्ष्य के कंडिका 4 में न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानने से इंकार किया है। अतः इस कांड में अभियुक्त की संलिप्तता संदेहास्पद हो जाती है तथा अभियुक्त के पास से कोई लुटपाट का सामन भी बरामद नहीं किया है गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निर्णय पर पहुॅचती है कि अभियोजन 395 भा0द0वि के आरोपित आरोप को साबित करने में विफल रही है।

समस्त अभिलेख के अवलोकन, साक्षी का साक्ष्य एवं उभय पक्षों के बहस से यह ज्ञात होता है कि इस वाद के अभियुक्त हीरा पासवान का नाम अनुसंधान के क्रम में आया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी के साक्ष्य में अभियुक्त की पहचान नहीं होना इस कांड में अभियुक्त की संलिप्ता संदेहास्पद प्रतित होता है। अन्य किसी साक्षी के द्वारा अभियोजन वाद का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य एवं तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि आरोपित धाराओं के अंतर्गत हुए अपराधों को साबित कर सके। उपर्युक्त विशलेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अभियुक्त पर लगे आरोपो को सारे संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है।

<u>आदेश</u>

उपर्युक्त निष्कर्ष के आधार पर हीरा पासवान को धारा 395 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोष मुक्त करते हुये उन्हे बंध पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित तथा खुले न्यायालय में उभयपक्षों के उपस्थिति में पढ़कर सुनाया गया।

न्यायालय– कुमार अमित मनु, अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बांका

न्यायालय – श्री कुमार अमित मनु
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश अनुसुचित
जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका (बिहार)
सत्रवाद संख्या –1018A/11
बिहार राज्य वनाम आशुतोष कापरी एवं अन्य

अपर सत्र न्यायाधीश,
प्रथम, बांका
दिनांक 24.06.2026

अपर सत्र न्यायाधीश
प्रथम, बांका
दिनांक 24.06.2026